हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 110/2022 अनवान शिवसिंह बनाम जसवंतसिंह

नम्बर
तारीख
जो इस
तामील
हुए

17/07/23 वकुलाय फरीकेन उपस्थित। स्थगन आदेश आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाया जाकर वास्ते बहस पेश संशोधित शीर्षक आरिन्दा दिनांक 21/07/2023 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। संशोधित शीर्षक पेश हो। स्थगन आगामी पेशी तारीख तक बढ़ाया जाता है। वास्ते बहस प्रकरण तारीख 26/07/2023 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

निर्णय

26/07/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2127/2032 रकबा 26.05 बीघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की व कब्जासुदा भूमि आई हुई है। वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बाडमेर से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। लिहाजा माननीय न्यायालय द्वारा जारी हस्तगत प्रकरण में दिनांक 18.05.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें।

वकील अप्रार्थी 01 से 06 व 12 से 13 ने निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मात्र संदेह पर प्राप्त की है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से को न तो बेचान किया जा रहा है न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी की जा रही है मात्र सन्देह होने पर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रतीत हो की

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

रीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जा ... तामी ... हुए
	राजस्व आवेदन संख्या 110/2022 अनवान शिवसिंह बनाम जसवंतसिंह	

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से को बेचान किया जा रहा है या अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की जा रही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 10 ने बहस में निवेदन किया कि यदि हस्तगत प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक कन्फर्म की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.05.2022 को प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभाव में है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2127/2032 रकबा 26.05 बीघा भूमि में उभय पक्ष किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर